Haridwar Anant Kumbh Nidhi Act, 2003

Act 31 of 2003

Keyword(s):
Anant Kumbh Nidhi

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–26

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 जनवरी, 2004 ई0
पौष 29, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 503/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 19 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर दिनांक 16–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 31, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि अधिनियम, 2003
(अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2003)

कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिये निधि स्थापित किये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय—1

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि" का तात्पर्य कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिए स्थापित निधि से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है;

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है;

(घ) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य सदस्य सचिव, अनन्त निधि से है;

(च) "वर्ष" का तात्पर्य पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले 12 माह से है;

(छ) "कोष" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्राप्तियों से है;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

अध्याय—2

निधि की कार्यकारिणी

3. (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी जो निधि के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी एवं अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगी। निधि के वित्तीय एवं इतर समस्त कार्यकलाप कार्यकारिणी द्वारा प्रशासित होंगे। यह एक निगमित निकाय होगा जिसकी सारस्वत उत्तराधिकारिता तथा एक सामान्य मुद्रा होगी।

(2) कार्यकारिणी के निम्न सदस्य होंगे :—

(क) पदेन सदस्य :

(1)	मुख्यमंत्री, उत्तरांचल राज्य	अध्यक्ष
(2)	शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल राज्य	उपाध्यक्ष
(3)	मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(4)	सचिव, नियोजन, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(5)	सचिव, वित्त, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(6)	सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(7)	सचिव, पर्यटन, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(8)	सचिव, संस्कृति, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(9)	सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल सरकार	सदस्य सचिव
(10)	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल	सदस्य
(11)	कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
(12)	अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद्, हरिद्वार	सदस्य
(13)	श्री गंगा सभा, हरिद्वार के अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
(14)	जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं टिहरी	सदस्य

(ख) नामित सदस्य :

(1) कार्यकारिणी अधिकतम चार सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित कर सकेगी।

(2) कार्यकारिणी द्वारा व्यापार एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा एवं साहित्य के क्षेत्रों के मूर्धन्य व्यक्तियों को संरक्षक की प्रास्थिति से विभूषित किया जा सकता है। इन संस्थाओं को निधि के उद्देश्यों एवं कारणों को अग्रसर करने हेतु बहुमूल्य परामर्श/संरक्षण देने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

कार्यकारिणी की शक्तियां, कर्तव्य एवं अधिकार

4. (1) निधि के कार्यकलापों का संचालन एवं प्रबन्धन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा, जो उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप निधि की ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकार का प्रयोग करेगी जो इसके सुगम संचालन के लिए विवेकपूर्ण और आवश्यक हो।

(2) निधि की समस्त चल एवं अचल या अन्य प्रकार की सम्पत्ति कार्यकारिणी में निहित होगी।

(3) पूर्वगामी प्राविधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारिणी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(i) उपहार, दान, अनुदान, विनिमय, पट्टा द्वारा भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति का उससे संलग्न सभी अधिकारों सहित अर्जन करना;

(ii) निधि की सम्पत्ति का प्रबन्धन करना;

(iii) निधि के लिए उपहार, दान, अनुदान आदि द्वारा धन जुटाना;

(iv) निधि के लिए एवं निधि की ओर से धन, प्रतिभूतियों, विलेख एवं/अथवा अन्य चल सम्पत्तियां प्राप्त करना;

(v) अपने प्रत्यापित अभिकर्ताओं द्वारा रसीद निर्गत करना, विलेखों का निष्पादन एवं हस्ताक्षर करना, चैकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन या मिति काटन करना;

(vi) उन अभिलेखों एवं लिखतों का निर्माण, निष्पादन एवं उन पर हस्ताक्षर करना जो निधि के कार्यकलापों के संचालन व निधि की सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए उचित एवं आवश्यक हो;

(vii) निधि की किसी चल या अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन, अन्तरण, निपटान;

(viii) पदाधिकारियों की शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण;

(ix) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;

(x) समय-समय पर उन एवं उतनी संख्या में उन शर्तों पर व्यक्तियों को रखना जो निधि के कार्यकलापों निधि द्वारा आरम्भ किये गये अध्ययनों, अन्वेषणों, शोधों, प्रशिक्षणों एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु उपयुक्त हों;

(xi) निधि के कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं उच्चस्थता बनाये रखना;

(xii) कार्यकारिणी को निम्न विषयों के सम्बन्ध में उपविधियां बनाने का अधिकार होगा :-

(क) निधि की सम्पत्ति, कोष, कार्यकलापों तथा कार्यों का प्रबन्धन;

(ख) समय-समय पर गठित निकायों एवं कार्यकारिणी की बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण;

(ग) अन्य ऐसे विषय जो आवश्यक पाये जायें।

अध्यक्ष/सदस्य सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

5. (1) धारा-4 में विहित शक्तियों/कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/सदस्य सचिव की निम्न शक्तियां/कर्तव्य होंगे-

(क) अध्यक्ष, निधि का प्रमुख होगा, जो कार्यकारिणी की बैठकों का सभापतित्व करेगा एवं पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्देश जारी करेगा। वह कार्यकारिणी की आपात् बैठक बुला सकता है।

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उसमें समस्त वे शक्तियां निहित होंगी जो उसे औपचारिक रूप से लिखित रूप में अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित की जायें।

(ग) सदस्य सचिव निधि की सम्पत्ति पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा निधि के प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों की देखरेख करेगा। सदस्य सचिव के निधि के लेखों के उचित रखरखाव तथा उनकी निर्धारित वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह अध्यक्ष के परामर्श और पूर्व स्वीकृति से आरम्भ किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कार्यकारिणी की बैठकें

6. कार्यकारिणी की बैठकें वार्षिक होंगी, परन्तु विशेष स्थितियों में जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष की अनुमति से इसकी बैठक हो सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक के लिए पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है।

कर्मचारीवृन्द एवं उनके पारिश्रमिक

7. कार्यकारिणी अपने कृत्यों और कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियत अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अनधिक होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को स्टाफ में अनुबन्ध अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति तथा उनकी ऐसी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की शर्तें विहित कर सकेगी, ऐसी नियुक्तियों पर आने वाला व्यय निधि के कोष से वहन किया जायेगा।

अध्याय—3

निधि कार्यालय

8. निधि का कार्यालय सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून अर्थात निधि के पदेन सचिव के कार्यालय में पृथक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया जाएगा।

निधि का वित्तपोषण

9. (1) कार्यकारिणी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें निधि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि (जिसमें दान एवं अनुदान आदि सम्मिलित है) जमा की जायेगी तथा उससे निधि के सभी खर्चों की जिनमें कोई भुगतान या अनुदान देना तथा क्रियान्वित भार सम्मिलित है, भुगतान किया जायेगा।

(2) निधि व्यक्तियों, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों से प्राप्त दान एवं अंशदान आदि विभिन्न स्त्रोतों से धन जुटायेगी।

(3) कार्यकारिणी निधि में जमा कोई भी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश कर सकती है।

(4) कार्यकारिणी साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा कुल प्राप्तियों की दो तिहाई तक सीमित धनराशि निधि के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सुसंगत कार्यों/गतिविधियों पर उन तरीके से जैसा वह उपयुक्त एवं उचित समझे, व्यय करने को अधिकृत कर सकती है।

(5) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐक्ट, 1949 (संख्या 38, वर्ष 1949) में विहित अर्थानुसार व्यवसायरत् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिसे वार्षिक आधार पर कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त किया जायेगा, निधि के वार्षिक लेखों की लेखा—परीक्षा की जायेगी।

(6) यथासाध्य प्रत्येक वर्षान्त के उपरांत यथाशीघ्र परन्तु अगले वर्ष के 30 सितम्बर से विलम्बतम नहीं, कार्यकारिणी उस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और समिति की प्रतिवेदन आख्या प्रकाशित करायेगी तथा उक्त लेखों और प्रतिवेदन की प्रतियां निधि के सभी सदस्यों एवं राज्य सरकार को अग्रेसित करेगी।

(7) कार्यकारिणी के बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक की देहरादून एवं हरिद्वार की मुख्य शाखाओं में खोले जायेंगे, जो निधि के संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से परिसंचालित होंगे।

10. कार्यकारिणी उस समय के पूर्व जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

अध्याय—4 (प्रकीर्ण)

11. राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी सूचनाएं एवं लेखे मांग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से यह समाधान करने के लिये आवश्यक होंगे कि निधि का कोष उचित रूप से प्रबन्धित, अनुरक्षित एवं प्रशासित है एवं कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल वे सूचनाएं एवं लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मांगने की शक्ति

12. कार्यकारिणी अथवा इसके किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निधि के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कृत्य या तात्पर्यित रूप से समझे गये किसी कृत्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकेगी। न्यायिक वाद एवं कार्यवाही पर प्रतिबन्ध

13. (1) कार्यकारिणी निम्न प्रयोजनों के लिये ऐसे उपनियम बना सकती है, जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित उपविधि अथवा किसी अन्य विधि से असंगत न हो :— कार्यकारिणी की उपनियम बनाने की शक्ति

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा कार्यकारिणी के सदस्यों में कर्तव्यों का विभाजन;

(ख) बैठकों से इतर उनके निर्णयों के अभिनिश्चयन की रीति;

(ग) कार्यकारिणी की बैठकों के कामकाज का संचालन एवं प्रक्रिया;

(घ) किसी सदस्य या उपसमिति या उपसमितियों को कार्यकारिणी की शक्तियों का प्रतिनिधायन;

(च) कार्यकारिणी के कार्यालय में रखे जाने वाले बही खाते;

(छ) निधि के कोष की अभिरक्षा एवं अभिनियोजन;

(ज) कार्यकारिणी के बजट में सम्मिलित किये जाने वाले या छोड़ दिये जाने वाले विवरण;

(झ) बैठकों का समय एवं स्थान;

(ट) बैठकों की सूचना दिये जाने की रीति;

(ठ) बैठक की कार्यवाही के अभिलेखन एवं प्रकाशन की रीति;

(ड) कार्यकारिणी को किये गये भुगतान हेतु जिन व्यक्तियों द्वारा रसीद जारी की जायेगी;

(ढ) कर्तव्यों का पालन।

(2) राज्य सरकार की पुष्टि के उपरांत सभी उपनियम अथवा वर्तमान उपनियमों का परिवर्तन या निरसन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा एवं तदुपरांत विधि का बल रखेंगे।

14. अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये कार्यवाही कर सकती है जो इस अधिनियम के असंगत न हो। कठिनाइयों के निवारण की शक्ति

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Hardwar Anant Kumbh Nidhi Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 31 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 16, 2004.

No. 503/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 19, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

HARDWAR ANANT KUMBH NIDHI ACT, 2003

(ACT No. 31 OF 2003)

To Establish fund for conservation and development of the Kumbh Mela area

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:--

Chaper--1

Short title, Commencement & Extent

1. (1) This Act may be called Hardwar Ananth Kumbh Nidhi Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise require--

(a) "Anant Kumbh Nidhi" Hardwar means fund established for conservation & development of the Kumbh Mela Area;

(b) "Chairman" means Chairman of the Executive Committee of Anant Kumbh Nidhi, Hardwar;

(c) "Vice Chairman" means Vice Chairman of the Executive Committee of Anant Kumbh Nidhi, Hardwar;

(d) "Member Secretary" means Secretary of the Executive Committee of Anant Kumbh Nidhi, Hardwar;

(e) "Year" means 12 months commencing on the first day of April;

(f) "Fund" menas the receipts received as per the provisions of this Act;

(g) "State Government" means the Government cf Uttaranchal.

Chaper--2

Executive Committee of the Fund

3. (1) There shall be an Executive Committee for the management of the affairs of the Fund and discharging the functions assigned to it by or under the Act. All affairs of the Fund, pecuniary and otherwise, shall be administered by the Executive Committee. It shall be a body corporate and shall have a perpetual succession and a common seal.

(2) The following shall be the members of the executive committee :--

(a) Ex-Officio Members :

(1) Chief Minister of the State of Uttaranchal.	Chairman
(2) Minister for Urban Development of the State of Uttaranchal	Vice Chairman
(3) Chief Secretary to the Govt. of Uttaranchal	Member
(4) Secretary Planning to the Govt. of Uttaranchal	Member

(5) Secretary Finance to the Govt. of Uttaranchal	Member
(6) Secretary Health to the Govt. of Uttaranchal	Member
(7) Secretary Tourism to the Govt. of Uttaranchal	Member
(8) Secretary Culture to the Govt. of Uttaranchal	Member
(9) Secretary Urban Development Govt. of Uttaranchal	Member-Secretary
(10) Commissioner, Garhwal Division	Member
(11) Kumbh Mela Adhikari, Hardwar	Member
(12) President, Akhara Parishad, Hardwar	Member
(13) Authorised Representative of Shri Ganga Sabha, Hardwar.	Member
(14) District Magistrate, Dehradun, Hardwar, Pauri & Tehri	Member

(b) Nominated Members :

(1) The Executive Committee may nominate maximum four members, for a maximum period three years.

(2) Eminent persons from business & Industry, Science & Technology, Art & Culture, Social Service and Literature may be bestowed with the status of 'Patron' by the Executive Committee. These Patrons may be invited to render valuable advice/guidance in furtherance of the aims and objects of the Fund.

Powers, Duties and Rights of Executive Committee

4. (1) The affairs of the Fund shall be carried on and managed by the Executive Committee who shall exercise such power and authority of the Fund as may be necessary and prudent for its smooth conduct consistent with the stated aims and objects.

(2) All properties, moveable and immovable or of any kind of the Fund shall stand vested in the Executive Committee.

(3) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, the Executive Committee shall have following powers :-

(i) acquire by gift, donations, grants, exchange, lease lands, buildings or other immovable properties together with all rights appertaining thereto;

(ii) to manage the properties of the Fund;

(iii) to raise funds for the Fund through gifts, donations, grants etc;

(iv) to receive monies, securities, instruments and/or any other movable properties for and on behalf of the Fund;

(v) to issue receipts, to sign and execute instruments and to endorse or discount cheque or other negotiable instruments through its accredited agents;

(vi) to make, sign and execute such documents and instruments as may be necessary and proper for carrying out the management of the property and affairs of the Fund;

(vii) to manage, transfer, dispose of any, movable or immovable property of the Fund;

(viii) to prescribe powers, functions and duties of the office bearers;

(ix) to appoint an auditor or auditors for auditing the accounts of the Fund;

(x) to engage, from time to time, such and as many persons and on such terms and conditions, as may be fit for carrying out the affairs of the Fund for conducting studies, investigations, researches, training and other activities undertaken by the Fund;

(xi) to exercise control and super ordination over the staff of Fund;

(xii) The Executive Committee shall have the power to make bye laws in respect of the following matter;—

(a) Management of properties, funds, affairs and works of the Fund;

(b) Procedure for convening and conducting of the meetings of the Executive Committee and such other bodies as may be set up from time to time;

(c) Such other purpose as may be found necessary.

Powers and Duties of the Office Bearers Chairman/ Member Secretary

5. (1) Powers/Duties as prescribed in section-4 the following powers/duties of Chairman/Member Secretary shall be in addition :–

(a) **The Chairman** shall be the head of the fund, who shall preside over all the meetings of the Executive Committee and issue instructions to office bearers and members of the Executive Committee. He can call any emergency meeting of the Executive Committee.

(b) **Vice Chairman** shall preside over all the meetings of the Executive Committee in absence of the Chairman, and perform all the duties of the Chairman and shall be vested with all the powers which will be formally assigned to him by the Chairman in writing.

(c) **Member Secretary** shall exercise control over the property of the Fund and look after the administrative and legal matters of the Fund. Member Secretary shall be responsible for proper maintenance and prescribed annual audits of accounts of the Fund. He/ she shall put up proposals and estimates for the works to be undertaken before the Executive Committee in consultation and with prior approval of the Chairman.

Meetings of the Executive Committee

6. The Executive Committee shall meet annually but in special case may meet whenever necessary with the permission of the Chairman. A fortnight's notice will be required for Executive Committee meeting. Under emergent circumstances meeting may be called by the Secretary with the approval of the Chairman at short notice.

Staff and their Remuneration

7. For the efficient performance of its duties and functions, the Executive Committee may engage on contract or deputation, for a fixed term not exceeding three years in any case, such person or persons on the staff as it deems necessary and prescribe the terms and conditions of such engagement and their remunerations. The expenditure to be incurred for such engagements shall be met out of the Nidhi funds.

Chaper--3

Office of Fund

8. The office of the Fund shall be formed as a separate cell adjunct to the office of the Secretary, Urban Development, Govt. of Uttaranchal, Dehradun, *i.e.* Ex-Officio Secretary of the Fund.

Finances of the Fund

9. (1) There shall be established a Fund under the management and control of the Executive Committee into which shall be paid all monies. (including donations and grants etc.) received by the Fund and out of which shall be met all expenses including any payments or grants made and liabilities incurred by the Fund.

(2) The Fund will raise funds from the various sources, including donations and contributions from individuals, public and private institutions, trusts, bodies corporate, and both Union and State Governments.

(3) The Executive Committee may invest any money for the time being standing to the credit of the Fund in fixed deposits with the nationalized banks.

(4) The Executive Committee by a resolution passed by simple majority authorize spending of moneys, limited to two thirds of its total receipts, on works/ activities consistent with the aims and objects of the Fund in such manner as it deems fit and proper.

(5) The annual accounts of the Fund shall be subject to audit by a Chartered Accountant in practice within the meaning of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949), to be appointed annually by the Executive Committee.

(6) As soon as may be practicable after the end of each year, but not later than the 30th day of September of the year next following, the Executive Committee shall cause to be published in the Gazette of Uttaranchal a copy of the audited accounts and the report of the Executive Committee for that year and copies of the said accounts and report shall be forwarded to the State Government and to all the members of the Fund.

(7) The bank accounts of the fund shall be opened with the State Bank of India Main Branch, Dehradun and Hardwar, which shall be operated jointly by the Joint Secretary and the Treasurer of the fund.

Annual Administrative Report

10. The Executive Committee shall annually submit to the State Government a report on the administration of the affairs of the Fund by such time as the State Governments may prescribe.

Chapter--4 (Miscellaneous)

Power of the State Government to call for information and accounts

11. The State Government shall have power to call for such information and accounts as may in their opinion be necessary for reasonably satisfying themselves that the Fund is properly managed, maintained and administered, and the Executive Committee shall, on such requisition, furnish forthwith such information and accounts to the State Government.

Bar to suit or proceedings

12. No suit or proceedings shall lie in any court against the Executive Committee or its Members for anything done or purported to be done by them in good faith in pursuance of the aims and objects of the Fund under the provisions of this Act.

Power of the Executive Committee to make bye-rules

13. (1) The Committee may make bye-laws not inconsistent with this Act or any other law for the following provisions :--

(a) the division of duties among the Chairman, the Vice-Chairman, the Member Secretary and the members of the Executive Committee;

(b) the manner in which their decision may be ascertained otherwise than at the meetings;

(c) the procedure and conduct of business at meetings of the Executive Committee;

(d) the delegation of powers of the Executive Committee to individual members or to a sub-committee or sub-committees;

(e) the books of accounts to be kept at the office of the Executive Committee;

(f) the custody and deployment of the Fund;

(g) the details to be included in or excluded from the budget of the Executive Committee;

(h) the time and place of its meetings;

(i) the manner in which notice of its meetings shall be given;

(j) the manner in which the proceedings of its meetings shall be recorded and published;

(k) the persons by whom receipts may be issued for monies paid to the committee;

(l) the performance of duties.

(2) All bye-laws or cancellation or alteration of existing bye-laws after they have been confirmed by the State Government shall be published in the official Gazette, and shall thereafter have the force of law.

Power to Remove Difficulties

14. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, take action not inconsistent with this Act for the purpose of removing the difficulty.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 विधायी / 55—2004—500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।